संख्या-73/1862/एक-1-2015-1-1(31)/2003-116

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाक: 15 दिसम्बर, 2015

विषय:- महामंकोल छाय धम्मा डिवोटेड लैण्ड फार पीसफुलनेस फाउण्डेशन, श्रावस्ती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1622/डीएलआरसी/2014, दिनॉक 17.08.2014, पत्र संख्या-1899/डीएलआरसी/2015, दिनॉक 02.09.2015 एवं पत्र संख्या-1905/डीएलआरसी/2015, दिनॉक 14.09.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामंकोल छाय धम्मा डिवोटेड लैण्ड फार पीसफुलनेस फाउण्डेशन, श्रावस्ती को मेडीटेशन सेन्टर एवं वृक्षारोपण तथा परियोजना से सम्बन्धित भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 (2) के अन्तर्गत 12.50 एकड़ से अधिक 37.436 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति शासनादेश संख्या-332/एक-1-2002-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनॉक 07 मार्च, 2002 तथा शासनादेश संख्या-आर.एम.-04/एक-1-2005-1-1(31)/2003-11, दिनॉक 22 मार्च, 2005 द्वारा 50.00 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने की अनुमति कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी।

3. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-आर.एम.-04/एक-1-2005-1-1(31)/2003-11, दिनॉक 22 मार्च, 2005 एवं शासनादेश संख्या-941/एक-1-2010-1-1(3)/2003-116, दिनॉक 19 जुलाई, 2010 के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा 50.00 हेक्टेयर भूमि में से अवशेष भूमि को क्रय करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए 03 वर्ष की अवधि बढ़ाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष सभी शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

4. महामंकोल छाय धम्मा डिवोटेड लैण्ड फार पीसफुलनेस फाउण्डेशन, श्रावस्ती तथा काश्तकारों के मध्य क्रय-विक्रय की जानी वाली भूमि की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्था और काश्तकारों के मध्य केवल उन भूमियों का ही क्रय-विक्रय किया जायेगा जो संस्था के

shasnadesh.up.nic.in

-2-

निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के लिये अपरिहार्य हो। संस्था के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हेतु अनुपयोगी भूमि का क्रय-विक्रय कदापि नहीं किया जायेगा। संस्था और काश्तकारों के मध्य निम्नलिखित भूमियों क्रय-विक्रय की अनुमति प्रदान की जा रही है :-

ग्राम का नाम	संस्था द्वारा काश्तकारों को विक्रय की जानी वाली भूमि		ग्राम का नाम	संस्था द्वारा काश्तकारों की क्रय की जाने वाली भूमि	
	गाटा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)		गाटा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)
कटरा	49	0.550	कटरा	606	0.297
	920क	0.055		608	0.099
	1631	0.457		609	0.197
राजगढ़ गुलरिहा	1652मि0	0.324		611	0.329
	1515	1.495		613	0.075
	1397	0.326		617	0.127
	1661	0.020		619	0.086
	1170	0.235		625	0.078
	1270	0.347		630	0.338
चक भण्डार	412	1.069		641	0.066
	393	0.252		643	0.125
	421	0.385		644	0.099
खरगौरा बस्ती	850	0.247		645	0.100
				646	0.100
			राजगढ़ गुलरिहा	1630	0.242
				1633	0.365
				1634	0.326
				1635	0.345
	कुल 13 गाटा	5.762 हेक्टेयर		कुल 18 गाटा	3.394 हेक्टेयर

भवदीय,

shasnadesh.up.nic.in

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

-3-

संख्या-1862(1)/एक-1-2015-1-1(31)/2003-116 तद दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. महासचिव, महामंकोल छाय धम्मा डिवोटेड लैण्ड फार पीसफुलनेस फाउण्डेशन, ग्राम कटरा परगना व तहसील इकौना जनपद-श्रावस्ती।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in